शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 27 – 3 नवम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल बढ़ना कांग्रेस तथा भाजपा दोनों के लिये बना परीक्षा

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को एक अध्यादेश लाकर अब पांच वर्ष के लिये कर दिया है। पहले यह कार्यकाल अढ़ाई वर्ष का था और शिमला नगर निगम में यह पन्द्रह नवम्बर को पूरा होने जा रहा था। इसके बाद अगला मेयर बनने की बारी महिलाओं की थी। यह कार्यकाल बढ़ाये जाने को लेकर निगम पार्षदों में कोई परामर्श नहीं हुआ। यह परामर्श न किया जाना ही कांग्रेस पार्षदों में नाराजगी का कारण बना है। कांग्रेस के यह पार्षद निगम के सदन की बैठक में अपनी नाराजगी को मुखर कर चुके हैं और इस दिशा में अपना अगला कदम विधायक के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उठाएंगे। चौंतीस सदस्यों के सदन में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या चौबीस है जिनमें से पन्द्रह नाराज बताये जा रहे हैं। भाजपा पार्षदों की संख्या नौ हैं और एक पार्षद माकपा का है भाजपा ने निगम के सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। यदि यह अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और कांग्रेस के पन्द्रह नाराज पार्षद यदि ऐसे प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जायेगा।

शिमला प्रदेश की राजधानी है और यहां की निगम के चुनावों को लघु विधानसभा चुनावों की संज्ञा दी जाती है। भाजपा लगातार सरकार पर यह आरोप लगाती आ रही है कि यह सरकार जनता का सामना करने से डर रही है। भाजपा अपने आरोप का आधार स्थानीय निकायों के चुनावों को टालने और फिर पंचायत चुनावों को आपदा के नाम पर टालने तथा अब नगर निगम में महापौर और उपमहापौर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिये लाये गये अध्यादेश को बता रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शिमला नगर निगम में अपने ही पार्षदों की नाराजगी का सामना करने से डर रही है। उसे महापौर और उपमहापौर के चुनाव में हार का डर डरा रहा था। यह संशोधन लाकर सरकार ने अनचाहे ही विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। क्योंकि स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों को आगे सरकाने के लिये प्रदेश में आयी आपदा को आधार बनाया है। जब प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू किया गया था तभी शैल ने यह शंका जाहिर की थी कि सरकार इस आपदा के नाम पर इन चुनावों को टालने की भूमिका बना रही है। शैल के पाठक यह जानते हैं।

सरकार प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू करके अपने ही तर्क में उलझ गई है। क्योंकि यह अधिनियम लागू करने से सरकार के इस दावे पर स्वत: ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने और रोड नेटवर्क तथा पेयजल सुविधाओं को तुरन्त बहाल कर दिया है। आपदा में इस समय कोई भी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं है जो अब तक इस कारण से बन्द चल रहा हो। जब स्कूलों के छोटे बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं तो फिर किसी भी निकाय अथवा पंचायत का चुनाव

शेष पृष्ठ 8 पर.....

ए.एस.आई.पंकज को जमानत मिलने के बाद विमल नेगी मौत प्रकरण की जांच पर उठने लगे सवाल

शिमला/शैल। स्वर्गीय विमल नेगी मौत प्रकरण में गिरफ्तार हुये ए.एस.आई. पंकज शर्मा को प्रदेश उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है। पंकज शर्मा को सीबीआई ने 14 सितम्बर को गिरफ्तार किया था और यह जांच उच्च न्यायालय ने 23 मई को सीबीआई को सौंपी थी। पंकज शर्मा की हिरासत बढ़ाये जाने के सीबीआई के आग्रह को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था और सीबीआई ने अदालत के इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी थी। यह चुनौती न दिया जाना ही उच्च न्यायालय में पंकज को जमानत मिलने का एक बड़ा आधार बना है। वैसे सीबीआई ने अदालत के संज्ञान में यह अवश्य लाया है की पंकज शर्मा ने जांच के दौरान उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाये जाने को सहमति व्यक्त की थी परन्तु जब उसे इसके लिये अदालत में पेश किया गया तो उसने इससे इन्कार कर दिया। यह टेस्ट अभियुक्त की सहमति के बिना नहीं करवाये जा सकते हैं यह नियमों में प्रावधान है। पंकज शर्मा को जमानत मिलने से यह मामला फिर उसी स्टेज पर आ पहुंचा है जहां से यह शुरू हुआ था। स्मरणीय है कि पंकज शर्मा इस मामले का एक केन्द्रीय पात्र बन चुका है क्योंकि जब विमल नेगी का शव बरामद हुआ था तब घटनास्थल पर पहुंचने वालों में पंकज ही पहला पुलिस अधिकारी था। पंकज ने ही विमल नेगी की तलाशी में मिले सामान को लिया था और उसमें से पैन ड्राइव को उसने अपने ही पास रख लिया और बाद में उसे सदर थाना शिमला में फॉरमैट कर दिया। यह सब थाने के सीसीटीवी कैमरा में दर्ज है। यह सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में उच्च न्यायालय में कहा है।

विमल नेगी प्रकरण में पुलिस ने दो एसआईटी गठित की थी और पंकज शर्मा किसी भी एसआईटी का सदस्य नहीं था ऐसे में वह घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने और शव की तलाशी लेने वाला कैसे तथा किसके निर्देश पर बना? पैन ड्राइव को किसके निर्देश पर फारमैट किया? यह प्रश्न अभी तक अनुतरित हैं। सीबीआई इन सवालों का जवाब नहीं खोज पायी है। नेगी के परिजनों का आरोप है कि नेगी को पावर कारपोरेशन में प्रबन्ध निदेशक मीणा और निर्देशक देशराज प्रताड़ित करते थे और इसी प्रताड़ना का परिणाम है विमल नेगी की मौत। देशराज सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं और हरिकेश मीणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत पर हैं। ऐसे में पंकज की जमानत के बाद यह संभावना भी व्यक्त की जाने लगी है कि इन लोगों को भी नियमित जमानत मिल जाएगी। प्रदेश सरकार भी इस मामले में एक पक्ष बनने का प्रयास कर रही है। एसपी शिमला सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुके है। पावर कॉरपोरेशन द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे हैं। यह भी आरोप है कि स्व. नेगी पर भी इस भ्रष्टाचार में सहभागी बनने के लिये दबाव डाला जा रहा था। सीबीआई इस मामले की

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मुख्य सचिव ने नीति–निर्धारण में डेटा के उपयोग पर बल दिया

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने 'हिमाचल प्रदेश के शासन में डेटा के उपयोग को सुदृढ़ बनाने' विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एआई और सूचना प्रोद्योगिकी के दौर में डेटा की भूमिका में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में डेटा 'शासन की नई मिट्टी' के समान है जिसका हम जितना बेहतर उपयोग करेंगे हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। डेटा के बेहतर उपयोग से नीतियों के निर्माण में मदद के साथ-साथ प्रदेश की प्रगति को गति प्रदान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेटा की वास्तविक शक्ति तब सामने आती है जब विभिन्न तथ्यों को आपस में सही से जोड़ा जाता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग प्रकार के डेटा इकटठे किए जाते हैं और योजनाओं के निर्माण के लिए इन डेटा का बेहतर तरीके से एकत्रीकरण और एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि डेटा के एकत्रीकरण के दृष्टिगत डेटा लिटरेसी की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि फील्ड से एकत्रित डेटा में सटीकता का होना अत्यंत आवश्यक है और अधिकारियों को फील्ड से आने वाले डेटा की निगरानी करनी चाहिए। अधिकारियों द्वारा इसका सही विशलेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों से संबंधित डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि डेटा से छेड़छाड़ न की जा सके।

उन्होंने कहा कि सुरक्षित और अंतर-संचालित राज्य डेटा एकीकरण प्लेटफॉर्म का विकास, मजबूत डेटा गवर्नेंस अधोसंरचना का निर्माण, संस्थानों के सहयोग से डेटा लैब्स अथवा पॉलिसी लैब की स्थापना, अंतरविभागीय डेटा उपयोग को प्रोत्साहन और डेटा को प्रशासनिक कार्य प्रणाली का आवश्यक हिस्सा बनाना आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही प्रगति आंकड़ों में भी दिखाई देनी चाहिए। लोगों के लिए आंकड़ों को यूजर्स फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए।

सचिव वित्त डॉ. अभिषेक जैन ने कार्यशाला में मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे महत्त्वपूर्ण संपत्ति डेटा और सही सूचनाओं का संकलन है। उन्होंने कहा कि डेटा से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मिलती है। राज्य डेटा संग्रहण से आगे बढ़कर डेटा उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है और डेटा को शासन की एक प्रमुख परिसंपत्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा कि डेटा के बेहतर संकलन के लिए आइएसबी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है।

कार्यशाला में डेटा के महत्व को इंगित कर रही प्रस्तुतियां भी दी गई।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्यपाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्री गुरु सिंह सभा, शिमला द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि त्याग, तपस्या, भक्ति और मानवता की सेवा गुरु जी के जीवन के मूल संदेश थे और सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा-अर्चना नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा है। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनकी सर्वोच्च शहादत ने यह साबित कर दिया कि सत्य और न्याय के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। राज्यपाल ने कहा कि गुरु जी का संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों का इकट्ठा होना भारत की एकता और सौहार्द की भावना को प्रदर्शित करता है।

श्री शुक्ल ने कहा कि समाज में जब भय, असहिष्णुता या विभाजन की स्थितियां उत्पन्न होती है उस समय गुरु जी की शिक्षाएं हमें साहस, करुणा और सेवा की ओर ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति, मानवता की सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने में निहित है। उन्होंने लोगों से गुरु जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने, सहनशील बनने, दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करने और समाज में एकता, सद्भाव और सेवा की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

इससे पहले, राज्यपाल का श्री गुरु सिंह सभा, शिमला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने अभिनंदन किया।

प्रदेश सरकार ने भर्ती निदेशालय के तहत कनिष्ठ कार्यालय सहायक का पृथक संवर्ग बनाने को स्वीकृति दी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने पारदर्शी, योग्यता-आधारित और एक-समान भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में विभिन्न सरकारी विभागों में अंतर-विभागीय स्थानांतरण और मानव संसाधनों की तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का पृथक संवर्ग बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों के सुचारू संचालन के लिए पारदर्शिता और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है।

इसके तहत प्रारम्भिक रूप से सरकार ने राज्य संवर्ग में जॉब ट्रेनी के रूप में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 300 पद सृजित किए हैं। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप भरे जाएंगे।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती निदेशालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवा रिकार्ड के रखरखाव और मानव संसाधन डेटा प्रबंधन की देख-रेख करेगा। इन कर्मचारियों का दैनिक पर्यवेक्षण, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और उपस्थिति निगरानी संबंधित विभागाध्यक्षों के पास रहेगी जहां उनकी तैनाती होगी। राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर निदेशालय द्वारा संवर्ग वरिष्ठता बनाए रखी जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सलाहकार विभागों के परामर्श से भर्ती एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करेगी। ये प्रक्रियाएं नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के साथ-साथ इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी होने से पहले रिक्यूजिशन, पोस्टिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेंगी। संवर्ग क्षमता, पोस्टिंग और सर्विस रिकॉर्ड की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एनआईसी के माध्यम से एक केन्द्रित मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआरएमआईएस) भी विकसित की जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि यह व्यवस्था विभिन्न विभागों में श्रमशक्ति की समयबद्ध तैनाती सुनिश्चित करने के साथ पारदर्शी और कुशल तरीके से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।

चंबा अग्रणी आकांक्षी जिला के रूप में उभरा

शिमला/शैल। योजना विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों तक समान विकास सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो। दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सचिव स्तर पर हर तिमाही में समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए। आकांक्षी जिला चंबा को विभिन्न समग्र मापदंडों में बेहतर प्रदर्शन करने के दृष्टिगत मार्च 2019 से फरवरी, 2025 तक 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीएसआर के तहत 41.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिला में एनएचपीसी, एसजेवीएन और सीएसआर के तहत 58.07 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिला चंबा के पांगी, तीसा, जिला किन्नौर के पूह, जिला कुल्लू के निरमंड और जिला शिमला के कुपवी और छौहारा खंड को आकांक्षी खंडों के रूप में स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2023 की सितम्बर तिमाही के लिए विभिन्न मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए जिला चंबा के पांगी ब्लॉक को दो करोड़ रुपये और जिला किन्नौर के पूह को तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला के रूप में चंबा और आकांक्षी ब्लॉक के रूप में प्रदेश के छः ब्लॉक विभिन्न मापदंडों पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं।

सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। सरकार की विशेष पहल के तहत पांगी उप-मंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया है। सरकार के इस निर्णय से क्षेत्र के लोग अपनी पारम्परिक कृषि पद्धतियों का संरक्षण कर सकेंगे। पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाई गई जौ की खरीद की जा रही है और सरकार ने जौ के लिए 60 रुपये प्रतिकिलो ग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। दूर-दराज के पांगी क्षेत्र के लोगों के लिए पहली बार इस तरह की पहल की गई है।

बैठक में विभिन्न जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने कुल्लू और चंबा ज़िलों के आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री रवाना की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुल्लू और चंबा जिलों के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के दो वाहनों को राजभवन से रवाना किया। राहत सामग्री हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इन क्षेत्रों में चल रहे पुनर्वास प्रयासों के अंतर्गत सहायता के लिए भेजी गई है। राहत सामग्री में रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के 74 सेट, 300 तिरपाल, 280 कंबल, 20 आश्रय उपकरण किट और आवश्यक अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी आपदाग्रस्त लोगों को समय पर सहायता प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के माध्यम से राहत कार्य जारी रहेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर अतिरिक्त सहायता भेजी जाएगी।

मुख्य सचिव ने की जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की पहली बैठक मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रदेश सचिवालय में आयोजित इस बैठक में जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा द्वारा पावरप्वाइंट प्रस्तुति से जनगणना 2027 के लिए डिजिटल रोडमैप और संचालन ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण और मकानों की गणना' के पूर्व परीक्षण हेतु चयनित नमूना क्षेत्रों, शिमला नगर निगम (इंजन घर वार्ड नंबर-18), रामपुर (जिला शिमला के 10 चयनित गांव) और सांगला (जिला किन्नौर के 7 चयनित गांव) में 10 से 30 नवम्बर 2025 के दौरान आयोजित करने की जानकारी से भी अवगत कराया। मुख्य सचिव ने आगामी पूर्व परीक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। सभी संबंधित विभागों ने डिजिटल जनगणना के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से इस वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए ऋण सीमा में दो प्रतिशत वृद्धि का किया आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत वित्तीय सहायता, ऋण एवं अनुदान के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने तथा प्रदेश को वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए ऋण सीमा में दो प्रतिशत की वृद्धि का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों से हालांकि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो रही है लेकिन राजस्व घाटा अनुदान में नियमित कमी तथा पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि में प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में कमी आई है। वर्ष 2020-21 के 10249 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2025-26 में यह घटकर मात्र 3257 करोड़ रुपए रह गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 18000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। इस अवधि में प्रदेश में 1321 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस कारण प्रदेश के संसाधन एवं श्रम शक्ति में भी कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर दर के हाल ही में किए गए युक्तिकरण से कर आधार कम होने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल की कठिन परिस्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी भी प्रदान की।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता प्रदान करने और बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए अतिरिक्त स्वीकृति पर भी विचार किया जाएगा।

शहीदी पर्व पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्री गुरू तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर शिमला के रिज पर श्री गुरु सिंह सभा शिमला द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप को अपने शीश पर विराजमान कर पंडाल तक सेवा की तथा तख्त पर सुशोभित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि के रक्षक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण मानवता को उनके महान आदर्शों, उच्च जीवन मूल्यों तथा त्याग से सीख ग्रहण करते हुए इन सिद्धान्तों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। श्री गुरू जी की शिक्षाओं और बलिदानों से हमें जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है।

सुक्खू ने कहा कि श्री गुरू तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन से प्रेरित होकर युवा अपने उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार रख सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त श्री अमृतसर साहिब कुलदीप सिंह गडगज को सम्मानित किया।

श्री गुरू सिंह सभा शिमला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट किया।

हिमुडा को चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हिमुडा को राज्य के लोगों की सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाठिया देवी टाउनशिप की भी समीक्षा की और हिमुडा को परियोजना को गति प्रदान करने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाठिया देवी सैटेलाइट टाउन शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी द्वारा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आवासीय सुविधा के साथ लोगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा को तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने शिमला शहर के विकासनगर में बनने वाले वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित परिसर शहर के सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा, जिसमें सरकारी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आगामी आवासीय परियोजनाओं की भी समीक्षा की और राज्य के लोगों की सुविधा के लिए परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के.पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में 27.43 करोड़ रुपये के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 27.43 करोड़ रुपये की लागत की 5 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

उन्होंने 8.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सायरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित वन विश्राम गृह, सेरीघाट का उद्घाटन किया। उन्होंने ममलीग ग्राम पंचायत के बशील में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने ममलीग ग्राम पंचायत के कायसू में 2 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और ममलीग में 16.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी।

सरकारी भवनों की विद्युत कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कमी कर सालाना 6.72 करोड़ रुपये की बचत

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों के इलैक्ट्रिक कनेक्शनों की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड (लोड कपैसिटी) के युक्तिकरण से 6.72 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत की है। इस पहल का यह पहला चरण है। कृषि, थोक आपूर्ति, वाणिज्यिक आपूर्ति, जल शक्ति, बड़ी औद्योगिक आपूर्ति, गैर-घरेलू गैर-वाणिज्यिक, लघु औद्योगिक और अस्थायी आपूर्ति जैसी श्रेणियों के तहत 913 सरकारी विद्युत कनेक्शनों का युक्तिकरण किया गया, जिससे कुल मांग शुल्क 2.05 करोड़ रुपये से घटकर 1.49 करोड़ रुपये प्रति माह हो गया। इससे राजस्व में सालाना अच्छी-खासी बचत होगी।

शिमला स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की अनुबंध मांग पहले 1350 केवीए थी, जिसे घटाकर 858 केवीए कर दिया गया, जिससे प्रति वर्ष लगभग 24 लाख रुपये की बचत हुई है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह अवलोकन किया था कि कई विभाग अपनी वास्तविक खपत की तुलना में अधिक मांग शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। उनके निर्देशों की अनुपालना करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने विभागीय भवनों की वास्तविक लोड कपैसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को पुनः सरेखित करने के लिए एक व्यापक अभियान संचालित किया।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, यह प्रक्रिया, जो आमतौर पर विद्युत उप-मंडल स्तर पर की जाती है, तत्कालीन मुख्य सचिव की देख-रेख में त्वरित गति से आगे बढ़ाई गई। एचपीएसईबीएल और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों के बाद मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा समन्वित राज्यव्यापी समीक्षा की गई, जिसमें सभी सरकारी उपभोक्ताओं की सूची तैयार की।

प्रत्येक कनेक्शन के लिए अनुबंध मांग की सीमा पिछले वर्ष की अधिकतम दर्ज मांग से 10 प्रतिशत अधिक रखी गई थी, जिसमें गर्मी और सर्दी के मौसम दोनों के चरम समय को शामिल किया गया। इसके बाद, अधिकृत सरकारी और एचपीएसईबीएल अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से एक विशेष एप्लीकेशन व एग्रीमेंट फॉर्म डिज़ाइन कर निष्पादित किया गया, जिससे बोर्ड की आईटी शाखा ने संशोधित सीमा को लागू करने में मदद मिली।

जून 2025 में इस फॉर्म को अंतिम रूप दिया गया और अगस्त 2025 तक, सरकार द्वारा कम मांग शुल्क के कारण एक ही महीने में 56 लाख रुपये की बचत की गई। यह बचत हर महीने होती रहेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने अनावश्यक व्यय को कम करने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के युक्तिकरण शुरू करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

प्रदेश में 222 ऑटोमैटिक मिल्क कुलेक्शन यूनिट की गई स्थापित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ सीमित की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने प्रसंघ को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया जाएगा ताकि इसके उत्पादों को सेना और स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के दत्तनगर स्थित दोनों दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने की संभावनों पर विचार किया जाए ताकि उत्पादन में और बढ़ौतरी सुनिश्चित की जा सके।

सुक्खू ने जिला मण्डी स्थित दुग्ध संयंत्र में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान प्रसंघ द्वारा दूध की खरीद में अधिकतम बढ़ौतरी दर्ज की गई है। 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं।

दो वर्षों में 222 ऑटोमैटिक मिल्क कुलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर 716 हो गई है। मिल्क फैड को दूध विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में भी आशातीत बढ़ौतरी हुई है। इनकी संख्या अब लगभग 40 हजार से अधिक हो गई है।

बैठक में प्रसंघ के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यों का क्या परिणाम आएगा, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं आएगा। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

बिहार चुनाव के साये में उठते राष्ट्रीय सवाल

बिहार चुनाव जिस राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे हैं उससे पूरे देश की निगाहें इस पर लग गयी हैं। इन चुनावों में एनडीए या इंडिया गठबंधन को सफलता मिलती है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव के दौरान उभरे प्रश्न हो गये हैं जिन पर एक सार्वजनिक बहस आवश्यक हो गयी है। बिहार में चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां का गहन सर्वेक्षण करवाया गया था। इन गहन सर्वेक्षण में करोड़ों मतदाताओं का नाम मतदाता सूचीयों से काट दिये जाने का सच सामने आया। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को बड़ा प्रमाण मानने से इन्कार कर दिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में पंहुचा। शीर्ष अदालत ने आधार कार्ड को एक वैध प्रमाण माना और चुनाव आयोग को निर्देश दिये कि इसे पहचान और मतदाता पंजीकरण में वैध आधार स्वीकार किया जाये। आज आधार कार्ड एक बुनियादी पहचान पत्र बन चुका है। परन्तु चुनाव आयोग ने इसे वैध प्रमाण मानने से क्यों इन्कार किया इसका जवाब आज तक नहीं आ पाया है। बिहार एसआईआर का मामला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और फिर भी बिहार में चुनाव करवा दिये गये। क्या ऐसे में यह चुनाव करवाना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़े करता। क्योंकि इस मामले में शीर्ष अदालत में लंबित होने के बावजूद पूरे देश में एसआईआर लागू कर दिया गया। चुनाव आयोग के इस फैसले का बंगाल और तमिलनाडु में उग्र विरोध हुआ है। चार दर्जन राजनीतिक दल इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं।

चुनाव आयोग पर वोट चोरी के जो आरोप पूरे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ राहुल गांधी ने लगाये हैं। उन पर आयोग की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आ पाया है। कर्नाटक में इस वोट चोरी पर मामला दर्ज कर एसआईटी को इसकी जांच सौंप दी गयी है। एसआईटी ने अब तक अपनी जांच में जो तथ्य जुटाये हैं उनसे भाजपा के कुछ नेताओं पर आंच आने की संभावना बढ़ गयी है और वह लोग अग्रिम जमानते हासिल करने के प्रयास में लग गये हैं। वोट चोरी के आरोप एक राष्ट्रीय अभियान की शक्ल लेते जा रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार और भाजपा आयोग के पक्ष में खड़े हो गये हैं इससे अनचाहे ही संदेश चला गया है की चुनाव आयोग की पक्षधरता का लाभ भाजपा को मिल रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवाल देश में लोकतंत्र के भविष्य के सवाल बनते जा रहे हैं।

चुनावों में मुफ्ती की घोषणाओं के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक ने भी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसके खिलाफ एक समय आवाज उठा चुके हैं। लेकिन बिहार चुनावों की पूर्व संध्या पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में दस-दस हजार डालने की घोषणा कर दी तब मुफ्ती को लेकर प्रधानमंत्री की करनी और कथनी का अन्तर सामने आ गया। लेकिन यह पैसा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद खातों में डाला जाने लगा। इस पर राजद के मनोज झा ने चुनाव आयोग को एक लम्बी चौड़ी शिकायत भेज दी। इस शिकायत पर आयोग खामोश बैठ गया है। यही नहीं इस फैसले के बाद विदेशी मुद्रा भण्डार में आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साठ हजार करोड़ की कमी आ गयी। डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर गया। आरबीआई को बाजार स्थिर रखने के लिये पैंतीस टन सोना बेचना पड़ गया। सोने की इस बिक्री ने सरकार की आर्थिक स्थिति के दावों को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पडना आवश्यक है। संयोगवश यह सब कुछ बिहार चुनावों के दौरान घटा है इसका मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस परिदृश्य में हो रहे बिहार चुनाव निश्चित रूप से ऐसे सवाल छोड़ रहे हैं जिन्हें नजरअन्दाज करना आसान नहीं होगा।

समावेशी और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला रखने वाले लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल

गौतम चौधरी

भारत आगामी 31 अक्तूबर को एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने जा रहा है। देश के सत्ता प्रतिष्ठानों से लेकर ऐसे सैंकड़ों संगठन हैं, जो 31 अक्तूबर को एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं। दरअसल, इस दिवस का महत्व इसलिये है कि इसी दिन भारत के उस लौह पुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने आधुनिक संप्रभु भारत की आधारशिला रखी। उस राष्ट्र पुरुष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के सम्मान में हमारा कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे, जिनकी दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय ने एक एकीकृत भारत की नींव रखी। 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में प्रसिद्ध पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, जिसने आज के इस अखंड, संप्रभु राष्ट्र को जन्म दिया। एकता दिवस केवल उनकी विरासत को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि भारत की विविधता में एकता की स्थायी प्रतिबद्धता का पुनर्स्मरण है।

जब वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश को 560 से अधिक रियासतों का एक जटिल ताना-बाना विरासत में मिला। प्रत्येक रियासत की अपनी स्वायत्तता और अलग-अलग निष्ठाएं थीं। सरदार पटेल ने इन रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की चुनौती स्वीकार की। यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए अद्वितीय कूटनीति, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। उनकी स्थिर दृष्टि और दृढ़ संकल्प ने उन्हें 'लौह पुरुष' के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। राजनयिक समझदारी और व्यवहारिकता के संयोजन से पटेल ने लगभग सभी रियासतों का विलय भारतीय परिसंघ में कराया, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे जटिल और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल थे। इससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित हुई।

एकता के बिना मनुष्यबल कोई शक्ति नहीं है, जब तक वह उचित रूप से समन्वित और संगठित न हो जाए। जब ऐसा होता है तो वह अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम और दुनिया के सामने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जो उस भूभाग को लंबे समय तक के लिए प्रभावशाली बना देता है। सरदार पटेल के लिए राष्ट्र की सच्ची शक्ति केवल सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता में निहित थी।

दरअसल, इन्हीं कुछ विशेषताओं के कारण वर्ष 2014 में भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य देशवासियों में एकता की भावना को पुनर्जीवित करना और पटेल की 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की दृष्टि को सम्मानित करना था।

इस दिन देशभर में रन फॉर यूनिटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और शपथ समारोह आयोजित किए जाते हैं। ता कि हमारे देश वासी अपने पूर्वज का स्मरण कर अपने आप को एकता के लिए प्रस्तुत करें। 31 अक्तूबर को मुख्य समारोह गुजरात स्थित एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (182 मीटर ऊंचा पटेल का भव्य प्रतिमा) पर आयोजित होता है, जो भारत की शक्ति, साहस और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है।

सरदार पटेल की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूर दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता के समय थी। उनका सामाजिक समरसता और समावेशिता में विश्वास आज के विभाजित विश्व में भी प्रेरणा देता है। सरदार पटेल बराबर यह बात दोहराते थे, 'धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही सभी के लिए सही मार्ग है।' ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि भारत के सामाजिक ताने-बाने में न्याय, परस्पर सम्मान और शांति बनाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है। एकता दिवस, उस भारत के विचार को पुनर्स्थापित करता है जो अपनी विविधता के कारण फलता-फूलता रहा है। यह दिन हर नागरिक को राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता को संजोने और भाषा, क्षेत्र तथा धर्म के बीच बंधन को मजबूत करने का आहवान करता है।

आज जब भारत क्षेत्रीय असमानताओं, सामाजिक विभाजनों और वैचारिक मतभेदों जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब एकता दिवस का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामूहिक प्रगति की भावना को पुनर्जीवित करता है। एकता दिवस के मौके, शैक्षणिक संस्थानों में एकता पर वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने की परिपाटी भी प्रारंभ की गयी है। सरकारी संस्थान परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और नागरिक राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। हर वर्ष स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह देशभक्ति और गर्व की भावना को फिर से जगाता है। इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम, यह संदेश देता है कि भारत चाहे जितना विशाल और विविध हो, उसका दिल और आत्मा एक है।

मसलन, सरदार पटेल के शब्द आज भी प्रेरणादायक हैं, 'मेरी केवल एक इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और देश में कोई भूखा न रहे, किसी की आंखों में आंसू न हों।' उनका दयालु व समावेशी राष्ट्रवाद सेवा और एकता पर आधारित नेतृत्व का सर्वोत्तम उदाहरण है।

भारत की श्रम संहिताएं: समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम

श्री चंद्रजीत बनर्जी,
महानिदेशक,
भारतीय उद्योग परिसंघ

भूमि और श्रम (भारत के विकास के आधार – स्तंभ हैं – भूमि अवसंरचना और औद्योगिक विकास को गति देती है, जबकि श्रम उत्पादकता और समावेश को बढ़ावा देता है। इस संदर्भ में, भारत की नई श्रम संहिताएं एक परिवर्तनकारी कदम को रेखांकित करती हैं, 29 कानूनों को एक आधुनिक, एकीकृत संरचना में समेकित करती हैं तथा श्रम परिदृश्य में स्पष्टता, एकरूपता और समानता सुनिश्चित करती है।

श्रमिकों के लिए, ये संहिताएं मज़बूत सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और औपचारिक लाभों तक व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं, जबकि व्यवसायों को सरलीकृत अनुपालन, कार्यबल प्रबंधन में लचीलेपन और सभी क्षेत्रों में समान अवसर का लाभ मिलता है। हालांकि अंतिम प्रभाव कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, लेकिन ये संहिताएं भारत के श्रम बाजार को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं।

जयपुर में वितरण सेवाओं से लेकर साणंद में तकनीकी भूमिकाओं और गुवाहाटी में निर्माण कार्य तक – विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल की आकांक्षा एक – जैसी है: सुरक्षित कार्य परिस्थितियों तक पहुंच, उचित पारिश्रमिक और दूसरी जगह ले जाने योग्य एवं विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा। श्रमिक चाहे कारखानों में कार्यरत हों या खेतों में, या प्लेटफ़ॉर्म – आधारित सेवाओं से जुड़े हों, वे तीन प्रमुख आश्वासन चाहते हैं: आय स्थिरता, पूर्वानुमानित सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार में सम्मान। भारत की चार श्रम संहिताएं इस आकांक्षा को जीवंत वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं, ताकि समता और सुरक्षा के सिद्धांत का कार्य जगत में अंतर्निहित होना सुनिश्चित हो सके।

सुधारों के केंद्र में है – सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार। लाखों असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक, जो भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, नई व्यवस्था के तहत औपचारिक मान्यता प्राप्त करेंगे और कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे। भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ के प्रावधान अब औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों तक इनका विस्तार हो जाएगा। यह बदलाव, न केवल कमजोर श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुविधा को मजबूत करता है, बल्कि उद्यमों को रोज़गार को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा के समग्र आधार का विस्तार होता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 औपचारिक रूप से गिग, प्लेटफ़ॉर्म और असंगठित श्रमिकों को मान्यता देती है तथा केंद्र और राज्यों को उनके लिए समर्पित सामाजिक – सुरक्षा कोष स्थापित करने की सुविधा देती है। एग्रीगेटर्स को टर्नओवर का 1 – 2 प्रतिशत, भुगतान का अधिकतम 5 प्रतिशत, योगदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लाभों के वित्तपोषण का एक व्यावहारिक तरीका है। आधार – आधारित पंजीकरण पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और ई – श्रम पोर्टल में 31 करोड़ से अधिक श्रमिक नामांकित हैं। प्रत्येक श्रमिक को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन) दी गयी है, जिसके जरिये स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व सहायता, या वृद्धावस्था पेंशन जैसे लाभों को नये कार्य – स्थल में स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी काम करते हों। ई – श्रम रजिस्ट्री, वास्तव में, अनौपचारिक श्रमिकों के संदर्भ में भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है – जो समावेशी विकास और आपदा सहनीयता की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता भी उतनी ही परिवर्तनकारी है, जो सुरक्षा मानदंडों को एकीकृत करती है और विशेष रूप से, महिलाओं को सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देती है। यह प्रगतिशील उपाय महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करता है, जबकि सुरक्षा को अनिवार्य बनाए रखता है। ओएसएच संहिता लाइसेंस और निरीक्षण प्रणालियों को भी युक्तिसंगत बनाती है, जो दंड के बजाये रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देने के क्रम में जोखिम – आधारित, प्रौद्योगिकी – सक्षम अनुपालन की ओर अग्रसर है। इसी तरह, वेतन संहिता सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान व्यवस्था को सार्वभौमिक बनाती है, चाहे उनका क्षेत्र या कौशल स्तर कुछ भी हो।

औद्योगिक संबंध संहिता, विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। विवाद बढ़ने से पहले बातचीत, सुलह और मध्यस्थता को प्रोत्साहित करके, यह संहिता एक अधिक स्थिर औद्योगिक संबंध वातावरण का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त, ट्रेड यूनियन मान्यता और बड़े उद्यमों के लिए स्थायी आदेशों से संबंधित सरलीकृत नियम (नियोक्ता – कर्मचारी संबंधों में पारदर्शिता और पूर्वानुमान में सुधार को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं।

उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए, श्रम संहिताओं का अर्थ है सरल अनुपालन: मानकीकृत परिभाषाएं, कम रजिस्टर, डिजिटल रूप से दाखिल करना और बहुत कम अस्पष्टता। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह वित्त वर्ष 2021 – 22 में 83.6 बिलियन डॉलर रहा था और वित्त वर्ष 2024 – 25 में यह 81 बिलियन डॉलर के साथ मजबूत स्थिति में है। इस अवधि में, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनमें श्रम सुधारों का अधिनियमन भी शामिल है। वित्त वर्ष 2021 – 22 में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उच्चतम आवंटन हुआ। इसके अलावा, संस्थागत नीति, डिजिटल सुधारों, देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य स्थल बनाने के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में सुधार तथा सेमीकंडक्टर उद्योग, कोयला क्षेत्र, ऊर्जा और खनिज क्षेत्र को मजबूत करने से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार में देश की स्थिति को और मजबूत करने में योगदान मिला।

फिर भी, कानून पारित करना केवल आधी यात्रा है। श्रम समवर्ती सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों को कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने और अधिसूचित करने होंगे। हालांकि अधिकांश राज्यों ने चारों संहिताओं के अंतर्गत नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी करने की गति असमान बनी हुई है। 'एक राष्ट्र, एक श्रम कानून व्यवस्था' के विज़न को साकार करने के लिए, यह आवश्यक है कि केंद्र और सभी राज्य कार्यान्वयन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ें।

इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए, कुछ प्राथमिकताएं उभर कर सामने आती हैं –

पहला, असंगठित श्रमिकों के कवरेज को क्रियान्वित करना। एग्रीगेटर्स के लिए अंशदान दरों की सूचना देना, पारदर्शी नामांकन और लाभ – वितरण प्रणालियां स्थापित करना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक डैशबोर्ड बनाना। प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सिंगापुर के केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

दूसरा, डिजिटल अवसंरचना को वास्तविक पात्रता में बदलना। ई – श्रम, ईपीएफओ और ईएसआईसी डेटाबेस को लिंक करना, ताकि श्रमिक जहां भी जाएं, लाभ उनके साथ चलें। आधार का उपयोग दूसरी जगह ले जाने की सुविधा (पोर्टेबिलिटी) के लिए किया जाना चाहिए, न कि बहिष्करण के लिए।

तीसरा, जागरूकता और क्षमता का निर्माण। एमएसएमई को संहिताओं को समझने के लिए हेल्प – डेस्क और सरलीकृत मार्गदर्शिकाओं की आवश्यकता है, श्रमिकों को बहुभाषी हेल्पलाइन और ज़मीनी सहायता की जरूरत होती है। सरकार, उद्योग निकायों और यूनियनों के संयुक्त प्रयास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कागज़ पर लिखे अधिकार, लाभ – प्राप्ति में परिवर्तित होंगे।

मूलतः, यह सुधार इस विश्वास पर आधारित है कि काम सुरक्षित होगा और उचित भुगतान किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा श्रमिक के साथ बनी रहेगी और अनुपालन इतना सरल होगा कि सभी इसमें भाग ले सकेंगे। इस संरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। यदि हम इन्हें गति, पारदर्शिता और सहयोग के साथ कार्यान्वयन करते हैं, तो ये संहिताएं भारत के अगले विकास अध्याय का आधार बन सकती हैं – व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा, श्रमिकों के लिए सम्मानजनक कार्य और निवेशकों के लिए पूर्वानुमानित व्यावसायिक वातावरण।

हिमाचल में 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र पूरी कर रहे नौनिहालों की पोषण आवश्यकताएं

बेहतर पोषण का संबंध शिशु, बाल और मातृ स्वास्थ्य में सुधार, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव, गैर – संचारी रोगों जैसे मधुमेह और हृदय रोग का कम जोखिम और दीर्घायु से है। पोषण के जरिए एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रदेश में 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र नौनिहालों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ उनकी प्रारम्भिक शिक्षा जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में छः वर्ष तक के बच्चों की हर महीने ग्रोथ मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वित्त वर्ष में आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 113 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार के वित्त कोष से व्यय किए जा चुके हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के तहत 1516.09 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल्यकाल देखभाल के साथ औपचारिक स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह – स्कूल घोषित किया है ताकि बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इससे उनकी प्रारम्भिक शिक्षा की मजबूत नींव तैयार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के को – लोकेशन के लिए जारी दिशा – निर्देशों को अमल में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जा चुका है।

प्रदेश के लिए स्वीकृत 1030 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में से जिला चम्बा के लिए 100 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य के सभी डीपीओ, सीडीपीओ व सुपरवाइजर को स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य के 15,181 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 5.34 लाख से अधिक छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूलों में किचन गार्डन पहल को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। प्रदेश के 14 हजार 464 विद्यालयों में मिड – डे – मील कार्यकर्त्ताओं, स्कूल प्रबन्धन समिति, स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों की मदद से किचन गार्डन तैयार किए गए हैं। इन किचन गार्डन में मौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। विद्यालयों के परिसरों के साथ – साथ सीमित स्थानों वाले स्कूलों में बड़े कंटेनर, पोट्स और बाल्टियों में सब्जियां और जड़ी – बूटियां उगाई जाती हैं। किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियों का उपयोग मिड – डे – मील बनाने में किया जा रहा है। इसके साथ – साथ बच्चों को प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के महत्त्व के बारे में भी अवगत करवाया जाता है। इस प्रयास से मिड – डे – मील के माध्यम से बच्चों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ – साथ बच्चे खेती के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं।

स्कूलों में कार्यरत मिड – डे – मील कार्यकर्ता बच्चों को पोषण के साथ प्यार परोसते हैं। कार्य के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मिड – डे – मील कार्यकताओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे 21,115 मिड – डे – मील वर्कर्स लाभान्वित होंगे और अब उनको 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

पोषणयुक्त आहार हर बच्चे का अधिकार है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को आकार देने के साथ – साथ उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत करता है। प्रदेश सरकार ने बच्चों को पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। इसके फलस्वरूप एक हंसते – खेलते बचपन का निर्माण हो रहा है।

प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उच्च स्तरीय

बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 15 नवम्बर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरम्भ करेगी और इसे समूल नष्ट किया जाएगा। चिट्टे के खिलाफ आगामी तीन माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा।

अभियान का शुभारम्भ 15 नवम्बर, 2025 को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक 'एंटी चिट्टा रैली' से किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस रैली का शुभारम्भ करेंगे। इस रैली में प्रदेश से विधायक, गणमान्य व्यक्ति, छात्र और समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। तीन माह के अभियान के दौरान चिट्टे के खिलाफ बहुस्तरीय कारवाई की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की जाने वाली यह कारवाई अब तक चिट्टा के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार होगा। इस अभियान में सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस, विभिन्न विभाग, स्वयंसेवक, विद्यार्थी और अन्य लोग विभिन्न स्तरों पर कार्य करेंगे। इस दौरान नशा निवारण जागरूकता पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

अभियान के दौरान जिला, उपमंडल और अन्य स्तरों पर भी एंटी चिट्टा रैलियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश से चिट्टा के समूल नाश के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष सेल गठित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में चिट्टा से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतें चिन्हित कर ली गई हैं। इन पंचायतों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा वालंटियर तैयार किये जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए वृहद रूपरेखा तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन एवं अवैध कारोबार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन का किया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे। समितियों की हर माह नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएंगी, जिसमें क्षेत्र में चिट्टा व चिट्टा से सम्बन्धित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जाएगा। ये समितियां स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशा निवारण व इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। ये समितियां जिला में सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और समन्वय भी स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा निवारण समितियां पंचायत स्तर पर नशा निवारण, चिट्टे के अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए पांच विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 29.50 करोड़ रुपये लागत की पांच विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने संगड़ाह तहसील के माइना बाग में 6.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और नोहराधार में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सब मार्किट यार्ड चरण-1 का उद्घाटन किया।

उन्होंने दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली रेणुका जी-ददाहू बिरला सड़क, जल शक्ति विभाग उप-मंडल नोहराधार के अंतर्गत रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए 17.89 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधा और ग्राम पंचायत भराड़ी, नोहराधार के गांव चोकन, ठांडी, हरिजन बस्ती चुमानु और कुदाग के लिए 94 लाख की ग्रेविटी जलापूर्ति योजना रोंडी पुल का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये की देने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। वे जिला शिमला के रोहड़ू से संबंध रखती हैं। मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से रेणुका ठाकुर को टीम सहित पहला विश्व कप जीत कर इतिहास रचने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सेमिफाइनल और फाइनल क्रिकेट मैच देखे और इन मैचों में भारत की महिला टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल को रेणुका ठाकुर की इस उपलब्धि पर गर्व है और उन्होंने प्रदेश के साथ-साथ देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा समर्पण से लड़कियां अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर महिला विश्व कप-2025 की विजेता बनी।

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा रहा सुधार:डॉ.शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने भाजपा सांसद हर्ष महाजन के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि जायका परियोजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकार ऋण लेकर कर रही है, न कि केंद्र सरकार की ग्रांट से। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्यसभा सांसद जनता को गुमराह कर झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की है, जिसकी फंडिंग जायका के माध्यम से की जा रही है। यह पूरी तरह प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस परियोजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, जिससे आम लोगों को अत्याधुनिक उपचार सुविधा मिल रही है। ऐसे में हर्ष महाजन को अब श्रेय लेने की याद आई है, जबकि वे राज्यसभा सांसद होने के बावजूद तथ्यों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस परियोजना की रूपरेखा लगभग दो वर्ष पहले तैयार की थी और इसके लिए फंडिंग का प्रावधान जायका से किया गया था। आने वाले समय में सरकार 3,000 करोड़ रुपये से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, क्षेत्रीय अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करेगी।

उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सस्ता, सुलभ और बेहतर इलाज उपलब्ध हो रहा है। यह सब प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प और ठोस प्रयासों का परिणाम है।

जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास

विभाग, हिमाचल प्रदेश के बीच फीकल स्लज के उपचार के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राज्य में अपशिष्ट जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फीकल स्लज प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण घरों में सिंगल पिट शौचालय बनाए गए हैं, जिनके भर जाने से पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख पर्यटन राज्य होने के कारण यहां पर्यटकों, श्रमिकों तथा अन्य अस्थायी जनसंख्या के कारण शौचालय पिट में ओवर फ्लो हो जाता है और इन्हें खुले क्षेत्र में खाली किया जाता है। इससे नदियों, नालों और तालाबों का जल प्रदूषित होता है जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने वॉश इंस्टीटयूट के सहयोग से राज्य भर में सर्वेक्षण, अभियंताओं का प्रशिक्षण तथा फीकल स्लज के सुरक्षित निपटान के लिए योजनाएं तैयार की हैं। इस प्रक्रिया में जल शक्ति विभाग की सक्रिय भागीदारी रही है। विभाग द्वारा राज्य के 22 मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की पहचान की गई है, जहां फीकल स्लज के उपचार के लिए आवश्यक संरचना विकसित की जा रही है।

पायलट परियोजना के अंतर्गत कांगड़ा जिले के पालमपुर और मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को क्रियाशील किया गया है। इन संयंत्रों के माध्यम से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त फीकल स्लज का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान किया जा रहा है।

आने वाले वर्षों में जल शक्ति विभाग के सभी उपयुक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को क्रियाशील करने की योजना है, जिससे अधिकांश ग्रामीण हिमाचल में फीकल स्लज का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण तथा जनस्वास्थ्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी। यह साझेदारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छ, हरित और स्वस्थ हिमाचल की दिशा में एक और ठोस कदम है।

यह समझौता ज्ञापन सचिव ग्रामीण विकास की उपस्थिति में निदेशक ग्रामीण विकास तथा मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

इस अवसर पर वॉश इंस्टीटयूट एवं शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की विभिन्न पहलों और शैक्षिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

रोहित ठाकुर ने निदेशालयों के पुनर्गठन, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार

योजना, डिजिटल उपस्थिति, शिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय शिक्षण भ्रमण, अपना विद्यालय योजना, राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल तथा स्कूलों की सीबीएसई से संबद्धता जैसी महत्वपूर्ण पहलों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग तीन वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक परिवर्तनकारी पहल की हैं, जिनके परिणामस्वरूप प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7000 नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसके बाद 9000 से अधिक और पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है जिनमें 1170 टीजीटी, 1762 जेबीटी, 37 प्रवक्ता (पीडब्ल्यूडी), 69 सी.एंड.वी तथा 6292 एनटीटी शिक्षक शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की रैंकिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अद्यतन रखने और उनके कोर्स पूरा करने के बाद उत्पन्न किसी भी ज्ञान-अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग आरंभ की है। इस कदम से शिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी।

रोहित ठाकुर ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित विद्यालय निरीक्षणों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उप-शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करें ताकि बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों के बीच संसाधनों के साझा उपयोग की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत के. शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, समग्र शिक्षा परियोजना निदेशक राजेश शर्मा तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय राज्य मंत्री से प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केन्द्र तथा किन्नौर में एक डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने का किया आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में त्वरित चेतावनी उपलब्ध करवाने के लिए डॉप्लर वेदर रडार और समुचित संख्या में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति, वैश्विक ऊष्मीकरण एवं मौसम में परिवर्तन के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस कारण राज्य में व्यापक स्तर पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने किन्नौर जिला में एक डॉप्लर वेदर रडार और प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया ताकि इनके माध्यम से पूरे राज्य में अग्रिम चेतावनी प्रणाली का लाभ मिल सके। उन्होंने आग्रह किया कि यह प्रणालियां अगले मानसून सीजन से पूर्व स्थापित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति जिला के लिए एक डॉप्लर वेदर रडार स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री से आग्रह किया था।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मौसम डेटा को केंद्र द्वारा अधिसूचित अग्रिम चेतावनी एजेंसियों के डेटा के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है। इससे एकीकृत जानकारी एवं समयबद्ध अग्रिम चेतावनी प्राप्त होने में सुगमता होगी। उन्होंने कांगड़ा-हमीरपुर जोन में सीस्मिक प्रयोगशाला एवं डेटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और उच्च क्षमता युक्त केंद्र की स्थापना प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला में मौसम डेटा केंद्र, प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में दो अतिरिक्त वायु निगरानी प्रणालियां और शेडो जोन में कॉम्पैक्ट वेदर रडार स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं में अप्रत्याशित वृद्धि के दृष्टिगत अत्याधुनिक चेतावनी एवं डेटा अनुश्रवण और विश्लेषण प्रणाली की स्थापना समय की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से प्रदेश में अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम, कृत्रिम मेधा एवं संबद्ध तकनीक की अद्यतन जानकारी के लिए रिफ्रेशर कोर्स, पर्यावरण संरक्षण एवं समग्र विकास के दृष्टिगत पौध आधारित पैकेजिंग प्रणाली तैयार करने के लिए अनुसंधान तथा विकास केंद्र और प्रदेश में पर्वतीय जैविक संसाधनों के समग्र उपयोग के लिए जैव उत्पादन हब (बायो मैन्यूफेक्चरिंग हब) की स्थापना के लिए प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह भी किया।

प्रदेश में प्राकृतिक कृषि एवं लैवेंडर सहित लेमन ग्रास और पुष्प खेती के विषय में भी बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि हिमाचल प्राकृतिक कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार की इस पहल से कृषक व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने हिमाचल सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य की विभिन्न मांगों पर शीघ्र उचित निर्णय लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके आवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसरंचना को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष में आवंटन में वृद्धि, प्रदेश के लिए 3 गहन चिकित्सा खंड स्थापित करने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुपात बनाए रखने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष में आवंटन में 200 करोड़ की वृद्धि की जाए।

उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह भी किया ताकि 90:10 का अनुपात बना रहे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आग्रह किया कि प्रदेश के लिए तीन गहन चिकित्सा खंड स्थापित करने की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यह खंड प्रदेश में गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों के बेहतर उपचार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हिमाचल में इस वर्ष आपदा से हुए नुकसान तथा प्रदेश सरकार द्वारा अधोसरंचना विकास एवं आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने प्रदेश हित में राज्य की ऋण सीमा में 2 प्रतिशत की वृद्धि का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री से उठाने का आग्रह भी किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों का बनेगा अलग कैडर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के ममलीग में एक विशाल जनसभा

को सम्बोधित करते हुए ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उप मण्डल खोलने तथा स्कूल की छत्त के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है और पारदर्शिता के लिए माई डीड परियोजना आरंभ की गई है, जिससे भूमि की रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश भर में 21वें स्थान पर था, जबकि आज हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पूर्व में वर्षभर अध्यापकों की ट्रांसफर होती रहती है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए। गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। ममलीग में भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश में 100 स्कूल सीबीएसई आधारित बनाए जा रहे हैं, जिनमें राज्य सरकार सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापकों का अलग कैडर होगा। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग ड्रेस कोड होगा।

15 मई 2003 के बाद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 15 मई, 2003 के बाद नियमित हुए हैं उन्हें पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उच्च स्तरीय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी जिनको सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया गया था उन्हें अब पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ देने से यदि वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं तो पैंशन का लाभ प्राप्त होगा। सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन देने के लिए 10 वर्ष की दैनिक सेवा के विरुद्ध अधिकतम दो वर्ष की अर्हक सेवा पर विचार किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पुनः पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प देगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही अपने कर्मचारियों के लिए प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की है जिसके बाद सरकारी कर्मचारी पुरानी पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा समय-समय पर उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग के अधिनियम, नियम और दिशा-निर्देश आम जनता के लिए उपलब्ध:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने पिछले 50 वर्षों के सभी अधिनियमों, नियमों, अधोसंरचना, दिशा-निर्देशों और मापदंडों का एक संग्रह तैयार किया है ताकि इन्हें आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज सरकार और ठेकेदारों व कार्यकारी एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित होगा और इससे भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। इस पहल से लोगों को लोक निर्माण विभाग के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यक्षेत्रों जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल, आर्केटेक्चर विंग इत्यादि के साथ वित्तीय पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी महत्त्वपूर्ण अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के संग्रहण से समय की बचत के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभागीय कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण, सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों और मापदंडों का संकलन किया है। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर, सुरक्षित और सुगम तरीके से सुविधाएं प्रदान करना है।

सचिव लोक निर्माण डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि यह संकलन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए एक उपयोगी दिशा-निर्देशिका साबित होगा। इस संकलन का अनुसरण करके वे जन सेवा कार्यों की योजनाओं को बेहतर कौशल के साथ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे, साथ ही विभाग के अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी जनता को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।

सामान्य विकास समिति की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सामान्य विकास समिति की बैठक समिति के सभापति केवल सिंह पठाानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति ने शौंगटांग कड़छम, काशंग-II व III एवं चांजू-III विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में विभागीय प्रतिनिधियों से विस्तृत जानकारी ली तथा विभागीय अधिकारियों को इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। पठानिया ने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में विलंब के कारण प्रदेश को वित्तीय नुकसान सहना पड़ रहा है इसलिए इन्हें समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समिति ने इन तीनों परियोजनाओं का निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया। समिति द्वारा विद्युत विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सुक्खू के दावों का जवाब देने के लिये भाजपा ने प्रदेश के बड़े नेताओं को बिहार क्यों नहीं भेजा?

शिमला/शैल। बिहार विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। क्योंकि कांग्रेस के पास केवल तीन ही राज्यों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकारें हैं। इसलिए इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें कैसा काम कर रही हैं और कैसे अपने चुनावी वायदों को अमली शक्ल दे रही हैं इसका खुलासा यहां के मुख्यमंत्रीयों से ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुक्खू को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में भेजा। हिमाचल में कांग्रेस ने चुनावों में दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी। इन गारंटीयों की हिमाचल में क्या स्थिति है यह हिमाचल की जनता और यहां के नेताओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। परन्तु संयोगवश भाजपा ने यहां के प्रदेश नेताओं को बिहार में चुनाव प्रचार के लिये नहीं भेजा। इसलिये मुख्यमंत्री सुक्खू जो कुछ बिहार में कांग्रेस के वायदों को लेकर बोल आये हैं उसका जवाब देने के लिये प्रदेश भाजपा का कोई नेता वहां मौजूद नहीं रहा है। जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र तक में चुनावों के दौरान हिमाचल सरकार के कई फैसले चर्चा का विषय रहे हैं और यह माना गया कि इन राज्यों में कांग्रेस की हार के लिये हिमाचल की सुक्खू सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार रही है। अपने चुनावी वायदों को यह सरकार पूरा करने में बुरी तरह असफल रही है। क्योंकि यह सरकार पहले दिन से ही प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के नैरेटिव में घिर गयी और उसका दोष पूर्व की भाजपा सरकार पर डालने लग गयी। आज तक प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का दोष पूर्व सरकार पर डालने और केन्द्र सरकार पर प्रदेश की वित्तीय सहायता न करने के विमर्श से बाहर नहीं निकल पायी है।

लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा बिहार में प्रदेश सरकार द्वारा सारी गारंटियां पूरी करने के दावे की पोल खोलने के लिये भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को यह जिम्मेदारी शायद अब दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिये जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ प्रैस क्लब द्वारा आयोजित 'मीट द प्रैस' कार्यक्रम में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू पर जबरदस्त हमला बोला है। जयराम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोगों को झूठी गारंटीयां देकर जनादेश चोरी किया है। अब इसी तरह के हथकण्डे बिहार में भी अपनाने के प्रयास कर रहे हैं। सुक्खू बिहार में गारंटीयों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर गये थे लेकिन बिहार के लोगों ने जो उनके झूठ का फैक्ट चेक किया तो वह देखने लायक था। अब कांग्रेस के झूठ की ही हांडी बिहार में दोबारा नहीं चढ़ेगी। जयराम ने कहा की सेवा के लिये, विकास के लिये मन्दिरों में जाकर कसमें खाने की जरूरत नहीं होती। झूठी गारंटियां देने की जरूरत नहीं होती है। पांच साल हमने भी सरकार चलाई। हमने गृहिणी सुविधा योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को बसों में आधा किराया, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री पानी, हिम केयर, सहारा योजना, शगुन योजना, 60 साल से अधिक की उम्र के बाद बिना किसी आय सीमा के वृद्धा पेंशन देना स्वावलंबन योजना, बेटी है अनमोल योजना, कन्यादान योजना, पुष्प क्रांति, खुंब विकास, बागवानी विकास, सीएम सोलर फेंसिंग, सिंचाई, जैसी दर्जनों जनहित की योजनाओं की कोई गारंटी नहीं दी थी। प्रदेशवासियों के लिए जो जरूरी था वो किया। पिछली सरकार पर कोई दोष नहीं मढ़ा। हमने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया। जब पूरी दुनिया में बड़ी-बड़ी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, बड़ी से बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया, उस समय भी हमने नए कर्मचारियों की भर्ती की, एक भी कर्मचारी के एक दिन का भी वेतन नहीं काटा। सुक्खू सरकार ने कोविड के समय में अपनी जान की परवाह न किए बिना लोगों की मदद करने वाले लोगों को भी एक झटके में बेरोजगार कर दिया। सरकार अच्छी नीयत से चलती है गारंटियों से नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है की सरकार की नीयत में ही खोट है।

'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार पत्रकारों पर मुकद्दमे करने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जंगली मुर्गा सीएम के कार्यक्रम में खाया जाता है। जंगली मुर्गा मारना अपराध है, इसके लिए कारवाई मुर्ग़ा मारने, बनाने और खाने वालों पर होना चाहिए थी लेकिन कारवाई हुई खबर लगाने वाले पत्रकारों पर। इसी तरह से सरकार की अराजकता के खिलाफ़ लिखने वाले लोगों पर तत्काल कारवाई करती है। यह तानशाही का दौर है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल में आपदा से नुकासन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकारों को दीर्घकालीन पर्यावरणीय संरक्षण योजनाओं पर काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ पल की त्रासदी हमारे सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है और हमें अपने प्रियजनों को भी खोना पड़ता है। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिमाचल की त्रासदी पर व्यापक पैमाने पर अध्ययन होना चाहिए। हमारे आग्रह को स्वीकार कर उन्होंने मल्टी सेक्टोरल टीम का गठन कर अध्ययन के लिए भेजा आगे भी अध्ययन होगा। जिससे एक प्रभावशाली योजना तैयार की जा सके।

धारा 118 में ढील को लेकर पूछे सवाल को लेकर कहा कि सरकार हिमाचल के हितों को बेचने पर अमादा है। धारा 118 में ढील दिलाने वाला एक रैकेट सक्रिय है। जो लोगों से सरेआम इसके लिए लोगों से उगाही कर रहा है। इसके बाद सरकार जिस तरह से धारा 118 में ढील देने की बात कर रही है, उससे यह साफ़ है कि यह 'सत्ता संरक्षित कार्यक्रम' है। प्रदेश में अवैध खनन से प्रदेश की इकोलॉजी प्रभावित हो रही है। प्रदेश में माफिया का एक नया तंत्र खड़ा हो रहा है। जो बिना बात दिन दहाड़े गोली चलाने में हिचकता नहीं है। माफिया वर्चस्व के लिए, आतंक फैलाने के लिए गोलियां चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है हिमाचल की संस्कृति के विपरीत यह माफिया राज सत्ता संरक्षित है। जो लोग पुलिस और सरकारी मुलाजिमों पर हाथ उठाने से नहीं हिचक रहे हैं। प्रदेश में नशे के प्रसार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो चिट्टा प्रदेश के बॉर्डर एरिया में थोड़ा बहुत था। आज जहां सड़क नहीं हैं, बाज़ार नहीं हैं वहां भी चिट्टा आतंक मचा रहा है। हमारी सरकार में नार्थ ज़ोन के राज्यों के साथ काम करने के लिए काम किया। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आये। लेकिन सरकार बदलने के साथ चीजें बदली हैं। इंटर स्टेट फोर्सेज के साथ काम करने से बेहतर परिणाम आएंगे इसकी सलाह भी हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को दी है।

लेकिन जयराम के इस वक्तव्य के बाद यह प्रश्न उठा है कि भाजपा ने सुक्खू के स्टार प्रचारक घोषित होने के बाद उनके काउंटर के लिये हिमाचल भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता को बिहार प्रचार के लिये क्यों नहीं भेजा? जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तो स्वयं हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि सामान्यत हर पार्टी दूसरी पार्टी के स्टार प्रचारकों को काउंटर करने के लिये उसी प्रदेश के अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को तैनात करती है। परंतु भाजपा ने ऐसा नहीं किया।

महापौर और उपमहापौर का

.....पृष्ठ 1 का शेष

करवाने में आपदा कैसे अड़चन डाल सकती है। इसी के साथ अनचाहे ही विपक्ष को अब केन्द्र द्वारा पूर्व में आपदा के नाम पर दी गई सहायता के खर्च का ब्योरा मांगने का मौका दे दिया है। विधानसभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार यह स्वीकार चुकी है कि केन्द्र ने हिमाचल को पिछले अढ़ाई वर्षो में 5500 करोड़ की सहायता दी है। इसके बाद 207 करोड़ की सहायता दी है। परन्तु सरकार करीब 300 करोड रुपए ही प्रभावितों को दे पायी है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने जो अब 1500 करोड़ की सहायता का ऐलान प्रदेश को देने का किया है वह पैसा आपदा प्रभावितों को मिलेगा और सरकार चलाने के लिये नहीं। इस वस्तुस्थिति में जहां सरकार अपने ही तर्क में उलझ गयी है वहीं पर भाजपा के लिये भी यह चुनौती बन गया है कि क्या वह शिमला नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हरा पाती है या नहीं। इसी के साथ भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिये जो खींचतान अभी से चल पड़ी है उसकी भी परीक्षा हो जायेगी कि कौन सा वर्ग कहां खड़ा है।

ए.एस.आई.पंकज को जमानत

.....पृष्ठ 1 का शेष

जांच पिछले पांच माह से कर रही है। पंकज शर्मा की गिरफ्तारी इस प्रकरण में अब तक पहली गिरफ्तारी रही है और उसमें भी अब जमानत मिल जाने के बाद सीबीआई का अगला सफर इस मामले में स्वत: ही प्रश्नित होता जा रहा है। क्योंकि सीबीआई अभी तक कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रकाश नहीं डाल पायी है। इस वस्तुस्थिति में स्व. नेगी के परिजनों को कब न्याय मिलेगा यह सवाल एक बार फिर अनिश्चितता के साये में आ खड़ा हुआ है।